रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1211] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2008/श्रावण 31, 1930
No. 1211] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2008/SRAVANA 31, 1930

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2008

का.आ. 2097(अ).—यतः, मै. डी एल एफ लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य में पूर्णतः एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य में प्लाट सं. टी पी-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राय, सोनीपत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने हरियाणा राज्य में प्लाट सं. टी पी-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राय, सोनीपत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार हरियाणा राज्य में प्लाट सं. टी पी-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राय, सोनीपत में 10.2498 हेक्टेयर भूमि को एतद्द्वारा विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 2/603/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2008

S.O. 2097(E).—Whereas, M/s. DLF Limited, a fully Private Oganization in the State of Haryana, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonipat, in the State of Haryana.

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonipat, in the State of Haryana of 26th July, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the land measuring 10.2498 hectares at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonipat, in the State of Haryana as a Special Economic Zone.

[F. No. 2/603/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2008

**का.आ. 2098(अ).**—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. डी एल एफ लिमिटेड द्वारा हरियाणा राज्य में प्लाट सं. टी पी-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राय, सोनीपत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. | निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 3. | क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, दिल्ली | सदस्य, पदेन |
| 4. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम का नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 6. | निदेशक (बैंकिंग), बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. | निदेशक (उद्योग एवं वाणिज्य), हरियाणा सरकार | सदस्य, पदेन |
| 8. | प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा सरकार | सदस्य, पदेन |
| 9. | मै. डी एल एफ लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रिती |

[फा. सं. 2/603/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2008

**S.O. 2098(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the information technology and information technology enabled services Special Economic Zone at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonipat, Haryana developed by M/s. DLF Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Development Commissioner of the Special Economic Zone | Chairperson, ex-officio |
| 2. | Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | Member, ex-officio |
| 3. | Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Delhi | Member, ex-officio |
| 4. | Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, ex-officio |
| 5. | Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member, ex-officio |
| 6. | Commissoner/Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India | Member ex-officio |
| 7. | Director (Industries and Commerce), Govt. of Haryana | Member, ex-officio |
| 8. | Managing Director Haryana State Industrial Development Corporation, Govt. of Haryana | Member, ex-officio |
| 9. | Representative of M/s. DLF Limited (Developer) | Special Invitee |

[F. No. 2/603/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2008

**का.आ. 2099(अ).**—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त दिनांक 22 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से मै. डी एल एफ लिमिटेड द्वारा हरियाणा राज्य में प्लाट सं. टी पी-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राय, सोनीपत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं हेतु क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा ।

[फा. सं. 2/603/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2008

**S.O. 2099(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 22nd day of August, 2008 as the date from which the information technology and information technology enabled servcies Special Economic Zone at Plot No. TP-2, Industrial Estate, Rai, Sonipat, Haryana developed by M/s. DLF Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. 2/603/2006-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.